न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
प्रकरण संख्या :– 01/2024 (जीसीएमएस नम्बर 2024/10)
उनवानी प्रकरण :–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ---------- प्रार्थी।

बनाम्

श्री हीरो पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह उम्र 35 साल निवासी नयावास पुराना शहर थाना कोतवाली जिला धौलपुर ---------- अप्रार्थी।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1– प्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
2– अप्रार्थी की ओर से :– श्री सचिन पाराशर अभिभाषक।

आदेश **दिनांक 19.01.2026**

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना कोतवाली धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी श्री हीरो पुत्र श्री हरप्रसाद जाति कुशवाह उम्र 35 साल निवासी नयावास पुराना शहर थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि गैर सायल के विरूद्व थाना कोतवाली धौलपुर पर कुल 03 प्रकरण दर्ज है जिनमें सभी मुकदमात में गैरसायल का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। तीनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया गया है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, हीरो का स्वछन्द रहना जनता हित में ठीक नही है। गैरसायल के विरूद्व थाना कोतवाली पर दर्ज अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है। मु0न0 141/2023 दिनांक 14.03.2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 85 दिनांक 31.03.2023 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब धौलपुर द्वारा दिनांक 08.05. 2023 को जुर्माना 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0 नं0 201/2023 दिनांक 10.04. 2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 115 दिनांक 24.04.2023 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब धौलपुर द्वारा दिनांक 08.05. 2023 को जुर्माना 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 308/2023 दिनांक 04.06. 2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 188 दिनांक 13.06.2023 को जुर्माना 200रू के दण्ड से दण्डित किया। गैरसायल हीरो पुत्र हरप्रसाद के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(v)(viii) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल हीरो पुत्र हरप्रसाद के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री सचिन पाराशर अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी एक धार्मिक व सामाजिक व्यक्ति है। अप्रार्थी का धौलपुर में किसी भी थाने में अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार के गम्भीर अपराध ना है न पूर्व में दर्ज है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करकर अपना अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अप्रार्थी शांति प्रिय व्यक्ति है उसका अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से किसी प्रकार से सम्बध सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में इस्तगाता–1, एफआईआर नम्बर 141/2023, 201/2023, 308/2023 की प्रमाणित एफआईआर, चार्जशीट एफआईआर 141/2023, 201/2023, 308/2023 प्रमाणित प्रति, फैसला प्रति मुकदमा नम्बर 141/2023, 201/2023, 308/2023 की प्रमाणित प्रति, नकल रपट आम सोहरत, आपराधिक रिकॉर्ड की प्रतिया प्रस्तुत की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्व 03 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके है। आलोच्य वर्ष 2023 में अप्रार्थी के विरूद्व 03 प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये है किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी आदतन जुआ खेलना, खिलाने, का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, अप्रार्थी हीरो का स्वछन्द रहना जनता हित में ठीक नही है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी को जिलाबदर किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी एक धार्मिक व सामाजिक व्यक्ति है। अप्रार्थी का धौलपुर में किसी भी थाने में अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार के गम्भीर अपराध ना है न पूर्व में दर्ज है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करकर अपना अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अप्रार्थी शांति प्रिय व्यक्ति है उसका अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से किसी प्रकार से सम्बध सरोकार नहीं है। अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

"(ख) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहॉ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया हैः— मु0न0 141/2023 दिनांक 14.03.2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 85 दिनांक 31.03.2023 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब धौलपुर द्वारा दिनांक 08.05.2023 को जुर्माना 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0 नं0 201/2023 दिनांक 10.04.2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 115 दिनांक 24.04.2023 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब धौलपुर द्वारा दिनांक 08.05.2023 को जुर्माना 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 308/2023 दिनांक 04.06.2023 धारा 13 आरपीजीओ जिसमें चार्जशीट नम्बर 188 दिनांक 13.06.2023 को जुर्माना 200रू के दण्ड से दण्डित किया। जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " **राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी हीरो पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह निवासी नयावास पुराना शहर थाना कोतवाली जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय—अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी हीरो पुत्र श्री हरप्रसाद जाति कुशवाह निवासी नयावास पुराना शहर थाना कोतवाली जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी हीरो जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर